

**Parliamentary Affairs Department**

**NOTIFICATION**

*Jaipur, October 22, 1981*

**G. S. R. 69**—In exercise of powers conferred by section 11 read with sub-section (11) of section 6-A of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Rajasthan Act 6 of 1957), the State Government hereby makes the following rules to regulate the grant of advance to officers of the Rajasthan Legislative Assembly for the purchase of Motor Car, namely :—

1. **Short title.**—These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly Officers (Advance for Purchase of Motor Car) Rules, 1981.

2. **Applicability.**—These rules shall apply to the Speaker and Deputy Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly and also to the Government Chief Whip and the Deputy Government Chief Whip and the Leader of the Opposition who are hereinafter referred to as the said officers.

3. **Terms and conditions for advance.**—The terms and conditions on which advance may be granted for the purchase of a motor car to the said officers shall be the same as contained in the Rajasthan Ministers (Advance for Purchase of Motor Cars) Rules, 1965 for the time being in force and the provisions of the said rules shall *mutatis mutandis* apply to the advance made to the said officers for the purchase of a Motor Car.

*[No. F. 7(6) Sansad/81]*  
*By Order of the Governor,*  
**Gopal Krishna Sharma**  
*Secretary to the Government.*

(91)

## संसदीय कार्य विभाग

### अधिसूचना

जयपुर, 22 अक्टूबर, 1981

**जी. एस. आर. 69** :-राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का राजस्थान अधिनियम 6) की धारा 6-क की उप-धारा (11) के साथ पठित धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान विधान सभा के अधिकारियों को मोटर कार के क्रय के लिये ऋण की मंजूरी का विनियमन करने के लिये, एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त नाम:-** इन नियमों का नाम राजस्थान विधान अधिकारी (मोटर कार के क्रय के लिये ऋण) नियम, 1981 है।

**2. लागू होना :-**ये नियम राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पर और सरकारी मुख्य सचेतक तथा सरकारी उप मुख्य सचेतक और विरोधी दल के नेता पर भी, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकारियों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, लागू होंगे।

**3. ऋण के लिये निबन्धन तथा शर्तें :-**उक्त अधिकारियों को मोटर कार के क्रय के लिए जिन निबन्धनों और शर्तों पर ऋण मंजूर किया जा सकेगा, वे वही होंगी जो तत्समय प्रवृत्त राजस्थान मंत्री (मोटर कार के क्रय के लिए ऋण) नियम, 1965 में अन्तर्विष्ट हैं, और उक्त नियमों के उपबन्ध उक्त अधिकारियों को मोटर कार के क्रय के लिए दिये गये ऋण पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

[संख्या एफ. 7(6) संसद/81]

राज्यपाल के आदेश से,

**गोपाल कृष्ण शर्मा**

शासन सचिव।